भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 264

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

.....

रिवर सिटीज एलायन्स

264. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री बीद्युत बरन महतो:
श्री मनोज तिवारी:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नदी के तट पर स्थित शहरों के लिए रिवर सिटीज एलायन्स (आरसीए) प्लेटफॉर्म शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उन शहरों का ब्यौरा क्या है जो इस एलायन्स का हिस्सा हैं;

(ग) क्या सरकार ने आरसीए का हिस्सा बनने हेतु शहरों के चयन के लिए कोई मानदंड तय किया हैं और भविष्य में इस प्लेटफॉर्म में और शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार नदी जल प्रबंधन की दिशा में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आरसीए नदी प्रबंधन और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ग): जी हां, रिवर सीटीज एलायन्स (आरसीए) की शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य सदस्य शहरों को शहरी नदियों के संपोषणीय प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण पहलूओं पर उत्तम प्रथाओं एवं सहायक नवाचार के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा परिचर्चा करने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना है। यह एलायन्स 30 शहरों नामत: देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, फारूखाबाद, मिर्जापुर, मथुरा, बिजनौर, अयोध्या, पटना, भागलपुर, बेगुसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, हाबड़ा, जंगीपुर, हुगली-चिनसुरा, बहरामपुर, महेशतला, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर और विजयबाड़ा को शामिल कर शुरू किया गया है।

यह एलायन्स भारत की सभी नदी शहरों के लिए खुला है। कोई भी नदी शहर किसी भी समय इसमें जुड़ सकता है।

(घ): राज्य सरकार अभिचिन्हित प्रदूषित नदी खंडों में गुणवत्ता पूर्ण जल के पुन:स्थापन हेतु कार्य योजना क्रियान्वित कर रही है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर पर तथा सचिव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति द्वारा केंद्रीय स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी), राज्य सरकारों तथा जिला गंगा समितियों द्वारा उससे जुड़ी प्रगति एवं गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाती है।

(ङ): नदी संबंधी संवेदनशील आयोजना एवं विकास की शुरूआत करने हेतु आरसीए के कार्य को सुकर बनाने हेतु एक प्लेटफार्म के रूप में अभिकल्पना की गई है। गंगा नदी बेसिन के पुनरूद्धार हेतु, नमामि गंगे एक एकीकृत एवं व्यापक ढांचा के माध्यम से यह कार्य कर रहा है जैसे ही शहरें नदी संवेदनशील विकास मदों का क्रियान्वयन शुरू करेंगे, रिवर सीटीज एलायन्स उन्हें एक दूसरे से सीखने तथा इस मोर्चे पर प्रगतिशील कार्य करने हेतु और दूसरों को प्रेरित करने हेतु सहायक सिद्ध होगा।

(च): अंतरराज्यिक नदी जल तथा नदी घाटी से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु संसद द्वारा अंतरराज्यिक जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम 1956-अधिनियमित किया है। इस अधिनियम, के अंतर्गत किसी ऐसे जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के बाद यदि केंद्र सरकार के विचार में यह विवाद वार्ता से सुलझाया नहीं जा सकता है तो उक्त जल विवाद के समाधान के लिए न्यायनिर्णय देने हेतु केंद्र सरकार जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करती है। वर्तमान में पांच ऐसे जल विवाद न्यायधिकरण सक्रिय है, जिनके विवरण **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित तिलैया-धाधर डायवर्सन स्कीम और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित पेन्नैयार नदी के जल उपयोग, संवितरण और नियंत्रण मुद्दा संबंध में अंतरराज्यिक जल विवाद का मुद्दा उठाया गया है।

******

अनुलग्नक

नदी जल की भागीदारी के संबंध में सक्रिय अंतरराज्यिक जल विवाद ट्रिव्यूनल की स्थिति

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	संबंधित राज्य	गठन की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण-।। (केडब्ल्यूडीटी-।।)	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र	अप्रैल, 2004	रिपोर्ट तथा निर्णय दिनांक 30.12.2010 को दिए गए। अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट दिनांक 29.11.2013 को दी गई। तथापि, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.09.2011 के आदेश के अनुसार राज्यों तथा केंद सरकार द्वारा दायर किए गए संदर्भों पर अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय अगले आदेश तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार, यह मामला निर्णयाधीन है। अधिकरण की कार्य अवधि 01 अगस्त, 2014 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 में उल्लिखित संदर्भों की शर्तों का समाधान किया जा सके। तदोपरांत, अधिकरण की कार्य अवधि एक वर्ष के लिए छः बार बढ़ाई गए है और अंतिम बार 01.08.2021 को यह अवधि बढ़ाई गई है।
2.	महानदी जल विवाद अधिकरण	ओडिशा एवं छत्तीसगढ़	12 मार्च, 2018	ओडिशा सरकार ने अंतरराज्यिक जल विवाद नियमावली, 1959 के साथ पठित अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3, के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पास दिनांक 19.11.2016 को शिकायत दायर की। केंद्र सरकार ने 12.03.2018 की अधिसूचना के माध्यम से महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया। तद्पश्चात, अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) के अंतर्गत 17.04.2018 को अधिकरण को संदर्भ भेजा गया। अतः मामला उक्त अधिकरण के न्यायाधीन है। केंद्र सरकार द्वारा 03 जून, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिकरण की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए अर्थात 11 मार्च, 2021 तक या रिपोर्ट की प्रस्तुति तक, जो भी

				पहले हो, बढ़ाई गई।
3.	महादायी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी)	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	16 नवंबर, 2010 तथापि, 13.11.2014 की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिकरण के गठन की तारीख 21.08.2013 से मानी जाती है।	एमडब्ल्यूडीटी ने अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट 14.08.2018 को प्रस्तुत की। धारा 5(3) के अंतर्गत आगे संदर्भ पक्षकार राज्यों तथा केंद्र सरकार के द्वारा अधिकरण के समक्ष भेजे गए। यह मामला न्यायाधीन है। अधिकरण की कार्य अवधि 20.08.2021 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई ताकि अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। केंद्र सरकार ने अवार्ड दायर किया है तथा एमडब्ल्यूटी का दिनांक 14.08.2018 का अंतिम निर्णय दिनांक 27.02.2020 की अधिसूचना संख्या एसओ 888(ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया।
4.	रावी एवं ब्यास जल अधिकरण (आरबीडब्ल्यूटी)	पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान	अप्रैल, 1986	अप्रैल, 1987 में धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट और निर्णय दिए गए। पक्षकार राज्यों द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण से स्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई। पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 पर 2004 का प्रेसिडेंसियल रेफ्रेंस 1 दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रसिडेंसियल रेफ्रेंस के विरूद्ध निर्णय दिया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने इस मामले में 1996 के ओएस संख्या 6 में 2016 की आईए संख्या 6 दायर की। मामला न्यायाधीन है।
5.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी)	आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा	फरवरी, 2010 हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार इस अधिकरण के गठन की तिथि 17.09.2012 मानी गई।	इस अधिकरण ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को 13.09.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। साथ ही ओडिशा राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत क्रमशः 11.12.2017 तथा 12.12.2017 को संदर्भ दायर किए गए। ओडिशा राज्य सरकार ने अधिकरण के समक्ष 2019 की आईए संख्या 1 दायर की तथा अधिकरण ने 23.09.2019 को इस मामले में निर्णय दिया। तत्पश्चात ओडिशा राज्य सरकार ने 23.09.2019

				के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपीसी (सी) संख्या 27930/2019 दायर की। अब अधिकरण ने 21.06.2021 को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

****